

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना /मुजफ्फरपुर ।

कारखाना निरीक्षक, नालन्दा अंचल, बिहारशरीफ/गया अंचल, गया/बेगूसराय अंचल, बेगूसराय रोहतास अंचल, डेहरी ऑनसोन/ /पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ/कटिहार अंचल, कटिहार ।

पटना, दिनांक- 11-1-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-102-कार्य की परिस्थितियाँ और सुरक्षा-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0002-कारखानों के निरीक्षक(विपत्र कोड-26-2230011020002) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	13 कार्यालयी व्यय		14 किराया दरें और कर	योग- 26-2230.01.102. 0002-कारखानों के निरीक्षक
		0002.13.04 विद्युत प्रभार	0002.13.10 भाड़े के गाड़ी का भुगतान	0002.14.01 किराया महसूल एवं कर	
1	2	3	4	5	6
1	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना	-	374400	-	374400
2	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुजफ्फरपुर	-	187200	-	187200
3	कारखाना निरीक्षक, नालन्दा अंचल, बिहारशरीफ	25000	93600	-	118600
4	कारखाना निरीक्षक, गया अंचल, गया	-	93600	-	93600
5	कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय	-	93600	-	93600
6	कारखाना निरीक्षक, रोहतास अंचल, डेहरी-ऑन-सोन	-	93600	-	93600
7	कारखाना निरीक्षक, पूर्णिया अंचल, पूर्णियाँ	-	93600	-	93600
8	कारखाना निरीक्षक, कटिहार अंचल, कटिहार	-	93600	30000	123600
	<b>कुल योग</b>	<b>25000</b>	<b>1123200</b>	<b>30000</b>	<b>1178200</b>

कुल आवंटित राशि रूपये ग्यारह लाख अठहत्तर हजार दो सौ मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दि.-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दि.-26.04.2017, पत्रांक-1208/वि० दि.-13.12.17 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि०(2)दि.-17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. विषयशीर्ष-0002.13.10 भाड़े के गाड़ी का भुगतान से आवंटित राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6178 दिनांक-02.11.17 में निहित शर्तों के आलोक में है।

5. वाहन का उपभोग करने वाले सभी पदाधिकारी एक लॉग बुक का संधारण करेंगे तथा वाहन का उपयोग किस कार्य के लिए हुआ है इस लॉग बुक में प्रतिदिन अंकित करेंगे। लॉग बुक के आधार पर ही वाहन पर व्यय हुए राशि का उपयोगिता मासिक रूप से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे तथा वाहन का उपभोग अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही करेंगे ।

6. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
8. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,  
11/1/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/बी3-109/17 श्र०सं०

120

पटना, दिनांक

11-1-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/1/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक- 6/बी3-109/17 श्र०सं०

120

पटना, दिनांक

11-1-18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

11/1/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-109/17 श्र०सं०-

120

पटना, दिनांक

11-1-18

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/1/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।